भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2713
दिनांक 04.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

न्यूनतम रेफरल मजदूरी

2713. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों पर लागू न्यूनतम रेफरल मजदूरी में संशोधन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन कामगारों की आय में हुई हानि के संदर्भ में संभावित मंदी के प्रभाव का अनुमान लगाया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क**)** और **(**ख**)** छह खाड़ी देशों **(**बहरीन**,** अबू धाबी**,** सऊदी अरब**,** ओमान**,** कुवैत और कतर**)** में जाने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए न्यूनतम रेफरल वेतन **(**एमआरडब्ल्यू**)** को सितंबर **2020** से जुलाई **2021** तक की संक्षिप्त अवधि के लिए पुनः समायोजित करके कम कर दिया गया था ताकि कोविड**-19** संकट के बाद इन देशों में भारतीय नागरिकों की नौकरियों को बचाया जा सके। महामारी की स्थिति में सुधार होते ही जुलाई **2021** से एमआरडब्ल्यू को कोविड**-19** से पहले के स्तर पर पुनः समायोजित किया गया।

इसके अलावा जुलाई **2022** में सरकार ने हमारे श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कुवैत के लिए भारतीय श्रमिकों **(**घरेलू श्रमिकों और नर्सों**)** की दो श्रेणियों हेतु एमआरडब्ल्यू को समायोजित करके बढ़ा दिया है।

(ग**)** और **(**घ**)** पिछले तीन वर्षों के दौरान जीसीसी देशों के लिए भारतीय प्रवासी श्रमिकों को ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए उत्प्रवास अनापत्ति की संख्या निम्नानुसार हमारे श्रमिकों के लिए बढ़ते अवसरों को दर्शाती है**:**

देश	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 (जनवरी से जून)**	**कुल योग**
सऊदी अरब	44316	32845	178630	100734	356525
कुवैत	8107	10158	71432	25550	115247
कतर	8907	49579	30871	14043	103400

यूएई	17891	10844	33233	27827	89795
ओमान	7206	19452	31994	10933	69585
बहरीन	4175	6382	10232	4185	24974
कुल योग	**90602**	**129260**	**356392**	**183272**	**759526**

*****